

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 24163

दिनांक 4 अगस्त, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू हो रखी हैं।

इस कार्यालय में अधीक्षण अभियंता RUIDP भीलवाड़ा द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अकिंत किया है कि इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 22927 दिनांक 12 मई 2020 द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्य करने की अनुमति दी गई थी, किन्तु पुनः भीलवाड़ा शहर के सीवरेज कार्य क्षेत्र में लागू की गई सख्त निषेधाज्ञा के मध्यनजर पुनः कार्य करने की अनुमति चाही गई है।


अतः नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करने पर उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एवं केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं शर्तों की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी।
2. निर्माण श्रमिक एवं अन्य कार्मिकों को फेस मॉस्क का उपयोग/लगाना अनिवार्य होगा।
3. Social distance के निर्धारित मापदण्डों अनुसार आवागमन किया जावे।
4. आवगमन करने वाले श्रमिक/कार्मिकों को सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होंगे।
5. सभी कार्मिकों/श्रमिकों के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करायें जायेंगे।
6. सीवरेज स्कीम के तहत कार्यरत स्टाफ/श्रमिकों/प्रबंधकों/संचालकों आदि के आवागमन हेतु अपने स्तर पर पास जारी कर सकेगें।
7. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवाइजरी एवं जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी आवागमन करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त स्वीकृति मान्य होगी।
9. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियों को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिंग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशों की पालना की जावे।
10. गुटखा तम्बाकू के सेवन तथा थुकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
11. कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रोटोकॉल को फोलो करते हुए एनक्सर I - II में दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायों का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
02. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
05. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. अधीक्षण अभियंता RUIDP भीलवाड़ा
12. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा


जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा